न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 12/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नेमीचंद पुत्र मदनलाल सोनी निवासी रामसर तहसील जायल जिला नागौर।		नायब तहसीलदार डेह तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री देवेन्द्रराज कल्ला अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक: 19.07.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 04/2021 सरकार बनाम नेमीचंद में निर्णय दिनांक 09.02.2021 के तहत मौजा रामसर के खसरा नं. 53 गै.मु. पायतन भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.02.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 01.03.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 09.02.2021 की फोटोप्रति तथा मौजा रामसर संवत 2043 के खसरा परिवर्तनशील पत्रक की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–आदेश जैर अपील खिलाफ कानून, खिलाफ रेकर्ड एवं न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विरूद्व है व निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे पूर्ण जांच किये बिना, पटवारी के बयान लिये बिना, मौका निरीक्षण किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने मे कानूनी एवं वाक्याति त्रुटि की है।

{2}(III)–मौके पर गुगरियाली के खसरा नं. 53 पायतन भूमि नही है खसरा नं. 53 मे करीब 60–70 रहवासी मकान बने हुए है, सरकारी कार्यालय भी है। वादग्रस्त स्थल के पास सडक बनी हुई है, उससे करीब 600–700 गज दूरी पर नाडी की पाल है, फिर नाडी है। नायब तहसीलदार ने खसरा नं. 53 का पूरे का मौका निरीक्षण नही किया, पूरे खसरे की रिपोर्ट ही नही मंगवाई। अन्य व्यक्तियो जिनके मकानात वगैरा बने हुए है, उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही की, केवल अपीलांट के अकेले के विरूद्व कार्यवाही करते हुए आदेश पारित करने मे कानूनी एवं वाक्याति त्रुटि की है।

{2}(IV)–मौके पर अपीलांट का कब्जा नया नही है। 30–40 वर्ष पुराना कब्जा है, काबिल नियमन है, जिसे बिना पूर्ण जांच व मौका निरीक्षण किये अपीलांट के विरोधियो की शिकायत मात्र पर अपीलांट का कब्जा हटाने का आदेश जैर अपील पारित करने मे भयंकर कानूनी एवं वाक्याति त्रुटि की है।

{2}(V)–अपीलांट के उपस्थित होने पर फाईल मे उसके हस्ताक्षर मात्र करा लिये व बाद मे आने का कहा, उसका जवाब नही लिया, न ही उसके सम्मुख आदेश पारित किया। बाद मे पता चला कि अपीलांट के विरूद्व आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया है। अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर नही दिया गया।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा रामसर में स्थित गै.मु. पायतन भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रामसर के खसरा नंबर 53 गै.मु. पायतन भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर